राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 162 / SEIAA/2022
Date: 13/4/22

प्रति,
श्री हेमेन्द्र पटेल,
ग्राम–झाबुआ,
तहसील – व जिला – झाबुआ (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण क्र. 7446/2020 : परियोजना प्रस्तावक श्री हेमेन्द्र पटेल, ग्राम–झाबुआ, तहसील – झाबुआ, जिला – झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9522 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.900 हेक्टेयर, खसरा 519/1, 662/2, ग्राम गडवानी व देवझीरी पाडा, तहसील झाबुंआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552 वी बैठक दिनांक 18.02.2022 एवं राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 710 वी बैठक दिनांक 08.03.2022 लिये गये निर्णय अनुसार उपरांत 715वी बैठक दिनांक 25.03.2022 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया.......

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से म.प्र गौड़ खनिज नियम, 1996 के अंर्तगत नियम 4 मे उप नियम (4) में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित संशोधन दिनांक 22 जनवरी 2021 के परिपालन में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम है, अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रकरण निरस्त मान्य किया जाता है, परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 16.02.2022 के माध्यम से म.प्र. गौण खनिज नियम 23.03.2013 एवं 22.01. 2021 की प्रति संलग्न कर नियमानुसार प्रकरण पर पुर्न विचार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाये। प्रकरण में SEIAA द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत रहेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में सूचित किया जाता है कि प्रकरण में SEIAA द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत रहेगा। प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पुनः परिवेश पोर्टल के पर ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

O/c